प्रेस विज्ञप्ति

28.08.2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), गुरुग्राम ने मेसर्स सनस्टार ओवरसीज लिमिटेड और अन्य के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत भूमिइमारतें, फ्लैट और एफडीआर के रूप में 294.19 करोड़ रुपये की संपत्ति अस्थायी रूप से कुर्क की है।

ईडी ने मेसर्स सनस्टार ओवरसीज लिमिटेड (एसओएल), इसके पूर्व निदेशकों रोहित अग्रवाल, माणिक अग्रवाल, सुमित अग्रवाल और अन्य के खिलाफ आईपीसी, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत सीबीआई, एसीबी, चंडीगढ़ द्वारा धोखाधड़ी, आपराधिक हेराफेरी, आपराधिक विश्वासघात, धोखाधड़ी करने और 9 ऋणदाता बैंकों के संघ को 950 करोड़ रुपये से अधिक की गलत हानि पहुंचाने के लिए दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की।

ईडी की जांच से पता चला कि जबकि मेसर्स एसओएल के खिलाफ कुल स्वीकृत दावे 1274.14 करोड़ रुपये थे, इकाई को सीआईआरपी कार्यवाही के माध्यम से केवल 196 करोड़ रुपये में एक संकल्प आवेदक मेसर्स उमाइजा इंफ्राकॉन एलएलपी (अजय यादव के माध्यम से) द्वारा बिना अपना कोई फंड रखे एक शेल इकाई के रूप में लिया गया था।

जांच के दौरान ईडी ने पहले ही जनवरी 2024 में पीएमएलए, 2002 के तहत तलाशी ली थी और साथ ही जुलाई 2024 में 03 व्यक्तियों -राकेश गुलाटी, परमजीत और अजय यादव को गिरफ्तार किया था, जिन्हें एनसीएलटी से एक दिवालिया कंपनी का वास्तविक नियंत्रण और व्यवसाय पुनः प्राप्त करने और ऋण निधि के उपरोक्त डायवर्जन को अंजाम देने की साजिश में शामिल पाया था।

उक्त पीएओ में ईडी ने सोनीपत, अमृतसर और गुरुग्राम में 210.6 करोड़ रुपये मूल्य की 72 एकड़ भूमि और भवन (कृषि भूमि सहित) के रूप में संपत्ति, सिविल लाइन्स, दिल्ली में 5000 वर्ग मीटर से अधिक के 77 करोड़ के 02 आवासीय घर, करनाल में 1.54 करोड़ रुपये के 04 फ्लैट, साथ ही 1.27 करोड़ रुपये का बैंक बैलेंस और 3.78 करोड़ रुपये की एफडीआर कुर्क किए हैं।

आगे की जांच जारी है।